भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

Rs.10

NOTARIAL NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

20AE 638699

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय

जनपद श्रावस्ती।

<u>दफा–1</u> यह कि शपथी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2020 को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, इलाहाबाद, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय (जनपद श्रावस्ती) एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, श्रावस्ती को दिया था। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2014 के आदेश से क्षुब्ध होकर अपराध संख्या –218/2010 धारा–379,411 भा०दं०सं० व धारा–26 वन अधिनियम विरुद्ध श्री राम किशोर पाठक के विरुद्ध दिया था।

<u>दफा– 2</u> यह कि उपरोक्त आदेश पारित होने के समय वर्तमान सी.जे.एम. महोदय इस जनपद में नियुक्त नहीं थे। सी.जे.एम. श्री शीतला प्रसाद की नियुक्ति इस जनपद में दिनांक 22.05.2019 को हुई है जिनका उक्त प्रकरण से न कोई सम्बन्ध है और न ही कोई भूमिका ही है।

क्रमशः/२

शपथपत्र न. 13/12

दफा– 3 यह कि शपथी को उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती द्वारा दिनांक 29.05.2020 को बयान हेतु अपने विश्राम कक्ष में बुलाया था। शपथी ने अपने बयान में माननीय जनपद न्यायाधीश को किसी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया है। माननीय जनपद न्यायाधीश ने वर्तमान सी.जे.एम. श्री शीतला प्रसाद व कार्यालय लिपिक श्री विवेक सिंह यादव का नाम बयान में कैसे अंकित कर लिया व किस आशय से अंकित कर लिया इसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

दफा– 4 यह कि शपथी ने शिकायती प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 06.12.2014 के विरुद्ध दिया है। उक्त आदेश को अपास्त कर रिलीज की गयी लकड़ी को जब्त करके पुनः मुकदिमे की कार्यवाही प्रारम्भ करायी जाये। जिससे राज्य सरकार को होने वाली क्षति को बचाया जा सके और दोषी व्यक्ति दण्डित हो।

शपथी

आशुतोष पाठक, (एडवोकेट)
पुत्र शेष कुमार निवासी ग्राम
अहलादनगर थाना सिरसिया
जनपद श्रावस्ती।
दिनांक 06.10.2020

6-10-20

शपथकर्ता आशुतोष पाठक … पहचान … स्वयं जानता हूँ शपथकर्ता ने … सही होने को स्वीकार किया।
पंजीकृत सं० 12 समय …
दिनांक 6/10/2020

राम सहाय
नोटरी एडवोकेट
तहसील भिनगा
जनपद–श्रावस्ती

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

NOTARIAL NOTARIAL

Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20AE 638700

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय

(जनपद श्रावस्ती)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

दफा–1 यह कि शपथी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2020 को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, इलाहाबाद, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय (जनपद श्रावस्ती) एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, श्रावस्ती को दिया था। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2014 के आदेश से क्षुब्ध होकर अपराध संख्या 218/2010 धारा–379,411 भा०दं०सं० व धारा–26 वन अधिनियम विरुद्ध श्री राम किशोर पाठक के विरुद्ध दिया था।

दफा– 2 यह कि उपरोक्त आदेश पारित होने के समय वर्तमान सी.जे.एम. महोदय इस जनपद में नियुक्त नहीं थे। सी.जे.एम. श्री शीतला प्रसाद की नियुक्ति इस जनपद में दिनांक 22.05.2019 को हुई है जिनका उक्त प्रकरण से न कोई सम्बन्ध है और न ही कोई भूमिका ही है।

क्रमशः/२

स०आ०प० न 13/14

२

दफा– 3 यह कि शपथी को उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती द्वारा दिनांक 29.05.2020 को बयान हेतु अपने विश्राम कक्ष में बुलाया था। शपथी ने अपने बयान में माननीय जनपद न्यायाधीश को किसी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया है। माननीय जनपद न्यायाधीश ने वर्तमान सी.जे.एम. श्री शीतला प्रसाद व कार्यालय लिपिक श्री विवेक सिंह यादव का नाम बयान में कैसे अंकित कर लिया व किस आशय से अंकित कर लिया इसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

दफा– 4 यह कि शपथी ने शिकायती प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 06.12.2014 के विरुद्ध दिया है। उक्त आदेश को अपास्त कर रिलीज की गयी लकड़ी को जब्त करके पुनः मुकदमे की कार्यवाही प्रारम्भ करायी जाये। जिससे राज्य सरकार को होने वाली क्षति को बचाया जा सके और दोषी व्यक्ति दण्डित हो।

नोटरी
1620

शपथी

आशुतोष पाठक,(एडवोकेट)
पुत्र शेष कुमार निवासी ग्राम
अहलादनगर थाना सिरसिया
जनपद श्रावस्ती।
दिनांक 06.10.2020

6-10-20

शपथकर्ता आशुतोष पाठक की पहचान ... ने किया जिनको मैं स्वयं जानता हूँ शपथकर्ता ने ... शपथ सही होने ... स्वीकार किया।
पंजीकृत सं० 10 ... 2351
दिनांक 6/10/2020

6/10/20

राम सहाय
नोटरी एडवोकेट
तहसील भिनगा
जनपद–श्रावस्ती

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
दस रुपये
रु.10
सत्यमेव जयते
INDIA
NOTARIAL NOTARIAL
Rs.10
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20AE 638693

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

दफा-1 यह कि शपथी ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2020 को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, इलाहाबाद, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय (जनपद श्रावस्ती) एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, श्रावस्ती को दिया था। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2014 के आदेश से क्षुब्ध होकर अपराध संख्या 218/2010 धारा-379,411 भा०दं०सं० व धारा-26 वन अधिनियम विरुद्ध श्री राम किशोर पाठक के विरुद्ध दिया था।

दफा- 2 यह कि उपरोक्त आदेश पारित होने के समय वर्तमान सी.जे.एम. महोदय इस जनपद में नियुक्त नहीं थे। सी.जे.एम. श्री शीतला प्रसाद की नियुक्ति इस जनपद में दिनांक 22.05.2019 को हुई है जिनका उक्त प्रकरण से न कोई सम्बन्ध है और न ही कोई भूमिका ही है।

क्रमशः/२

संलग्नक न. 13/16

दफा– 3 यह कि शपथी को उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती द्वारा दिनांक 29.05.2020 को बयान हेतु अपने विश्राम कक्ष में बुलाया था। शपथी ने अपने बयान में माननीय जनपद न्यायाधीश को किसी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया है। माननीय जनपद न्यायाधीश ने वर्तमान सी.जे.एम. श्री शीतला प्रसाद व कार्यालय लिपिक श्री विवेक सिंह यादव का नाम बयान में कैसे अंकित कर लिया व किस आशय से अंकित कर लिया इसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

दफा– 4 यह कि शपथी ने शिकायती प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 06.12.2014 के विरुद्ध दिया है। उक्त आदेश को अपास्त कर रिलीज की गयी लकड़ी को जब्त करके पुनः मुकदमे की कार्यवाही प्रारम्भ करायी जाये। जिससे राज्य सरकार को होने वाली क्षति को बचाया जा सके और दोषी व्यक्ति दण्डित हो।

शपथी

आशुतोष पाठक,(एडवोकेट)
पुत्र शेष कुमार निवासी ग्राम
अहलादनगर थाना सिरसिया
जनपद श्रावस्ती।
दिनांक 06.10.2020

6-10-20

शपथकर्ता आशुतोष पाठक पहचान ... स्वयं जानता हूँ ... सही होने ... पंजीकृत नं. 11
दिनांक 6/10/2020

राज बहादुर
नोटरी एडवोकेट
तहसील भिनगा
जनपद श्रावस्ती